UPSR040049712026

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– (अलका पाण्डेय) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP**01930

क्रिमिनल मिस/513/2026

सालिया बनाम. दुखी

दिनांकः 05.09.2026

पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस पर प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

दिनांक 14.06.2026 को समय करीब शाम 4 बजे विपक्षीगण 1 व 2 जिन्होंने नाले की जमीन पर कब्जा करके शौचालय कर निर्माण करा लिया है और प्रार्थिनी के घर के पानी का निकास बंद कर दिया है, जिसकी शिकायत करने पर विपक्षीगण 1 व 2 ने प्रार्थिनी को मां बहन की भद्दी गाली देते हुये बाल पकड़ कर पटक दिए तथा लाठी डन्डा व लात मूका थप्पड़ से मारने पीटने लगे। विपक्षीगणो ने छीना झपटी कर प्रार्थिनी का सलवार व समीज भी फाड़ दिया जिससे प्रार्थिनी अर्धनग्न हो गयी और उसकी लज्जा भंग हो गयी। प्रार्थिनी ने अपने घर के अन्दर भागकर अपने आप को बचाने का प्रयास किया जिस पर विपक्षीगण 1 व 2 विपक्षीगण 3 ता 5 के साथ मिलकर प्रार्थिनी के घर में घुस आये और प्रार्थिनी उसके घर मे पटक कर मारने पीटने लगे शोर गुहार पर प्रार्थिनी की लड़की आफरीन व सफीकुन बचाने आये तो विपक्षीगणो ने उन्हे भी मारा पीटा जिससे आफरीन के सिर में काफी चोट लग गयी। प्रार्थिनी के शोर गुहार पर इन्तजार अली उर्फ सोनू पुत्र दुफानी व फातिमा पत्नी दुफानी व अन्य गांव के तमाम लोगो ने मौके पर पहुंच कर बीच बचाव कराया और प्रार्थिनी की जान बचायी जाते समय विपक्षीगण 1 ता 5 ने आइन्दा जान से मार डालने की धमकी दिया है। अतः मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थिनी के प्रार्थना–पत्र पर थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थिनी के प्रार्थना–पत्र के तथ्यों के सम्बंध में कोई अभियोग थाना पर पंजीकृत नही है।

प्रार्थिनी ओर से प्रस्तुत तर्कों के आलोक में आवेदन अन्तर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस व आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत समस्त कागजातों का अवलोकन किया।

विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 173(4) बीएनएसएस के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को निस्तारण करते समय न्यायालय को न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग सजगता से करना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मकसूद बनाम गुजरात राज्य (2008) 5, एस 0 सी0 सी0 668** में यह अवधारित किया गया है कि धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते समय मजिस्ट्रेट को अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करने के पश्चात् ही धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता का आदेश पारित करना चाहिए। मजिस्ट्रेट को यांत्रिक एवं कैजुअल तरीके से इस अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **श्री निवास गुंडलरी व अन्य बनाम सेप्को इलेक्ट्रिक पावर कास्ट्रक्शन कारपोरेशन एवं अन्य, 2011 (1) सी0 सी0 एस 0 सी0, 171 (एस 0 सी0)** में यह सम्प्रेषण किया गया है कि आवेदन अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के निस्तारण के समय न्यायालय को सजग रहना चाहिए।

जी0 सागर सूरी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य 2000 (2) एस 0 सी0 सी0 पेज 636 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि फौजदारी न्यायालय का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिये कि वह दीवानी प्रकृति के प्रकरण में पक्षकारों पर दबाब बनाने के लिए या हथियार के रूप में उपयोग में लाया जाये।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **प्रियंका श्रीवास्तव व अन्य प्रति उ 0 प्र 0 राज्य व अन्य (2015)6 ए 0 सी0 सी0 287 के पैरा 30 व 31 एवं विधि व्यवस्था ललिता कुमारी प्रति उत्तर प्रदेष राज्य व अन्य 2009(64) ए 0 सी0 सी0 2014** के सम्प्रेक्षित सिद्धान्तों के आलोक में विस्तृत आख्या आहूत की गयी। थाना प्रभारी मल्हीपुर द्वारा प्रकरण की जॉच कर विस्तृत आख्या प्रेषित की गयी जो पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त के अनुसार आवेदिका व विपक्षी के मध्य नाले को लेकर व पानी निकालने को लेकर विवाद हुआ था जिसमें दोनों पक्षों ने आपस में कहासुनी की बात को लेकर मार पीट कर लिये थे, लेकिन लज्जा भंग करने के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुयी। आवेदिका सालिया उपरोक्त द्वारा दिये गये प्रार्थना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

इस प्रकार आवेदक द्वारा प्रा० पत्र में विपक्षीगण के विरूद्ध जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाये गये हैं उसके परिप्रेक्ष्य में थाना प्रभारी की जॉच आख्या में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदिका व विपक्षीगण के मध्य मुख्य रूप से नाले के पानी निकालने को लेकर मुख्य रूप से विवाद है। ध्यान देने योग्य है कि आवेदिका ने अपने प्रार्थनापत्र में स्वयं यह यहा है कि विपक्षीगण

ने नाले की जमीन पर कब्जा करके शौचालाय का निर्माण करा लिया है और प्रार्थिनी के घर का पानी का निकास बन्द कर दिया है और कथित शिकायत पर विपक्षीगण ने उसके साथ गाली गलौज मार पीट और छीना झपटी में अपने कपड़े फटने की बात कही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया स्पष्ट दर्शित है कि आवेदिका का मुख्य क्षोभ यह है कि विपक्षीगण ने उसके घर के पानी का निकास बन्द कर दिया है। अतः स्पष्ट दर्शित है कि सिविल प्रकृति का विाद पक्षकारों के मध्य है। इस सम्बन्ध में थाने से प्राप्त आख्या के अनसार आवेदिका व विपक्षीगण के मध्य नाले के पानी निकालने को लेकर मुख्य रूप से विवाद है। पक्षकारों ने आपस में कहासुनी की बात को लेकर मार पीट कर लिये थे, किन्तु आवेदिका द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध लज्जा भंग करने के सम्बन्ध में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुयी है। आवेदिका द्वारा विपक्षीगण पर दबाव बनाने के उद्देश्य से यह प्रार्थना–पत्र प्रायोजित रीति से विपक्षीगण के विरूद्ध दायर कर दिया गया है। प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को किसी संज्ञेय अपराध का घटित होना नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि प्रार्थिनी के आवेदन के सम्बंध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित व विधिसंगत नहीं है तथा आवेदन सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी सालिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS तदनुसार निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार दाखिल हो।

(अलका पाण्डेय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
श्रावस्ती